भारत सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं० 669

दिनांक 17.12.2018 को उत्तर दिए जाने के लिए

सौर ऊर्जा के उपयोग हेतु आबंटन

669. श्री प्रशांत नन्दाः

क्या **पेयजल और स्वच्छता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या मंत्रालय ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल अवसंरचना में सौर ऊर्जा के उपयोग हेतु आबंटन को बढ़ाने पर विचार कर रहा है**?**

उत्तर

राज्य मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

(श्री रमेश चंदप्पा जिगाजिनागी)

उत्तरः एनआरडीडब्ल्यूपी के तहत, सौर ऊर्जा आधारित स्कीमों के लिए अलग से कोई आबंटन नहीं है। तथापि, मंत्रालय ने हाल ही में नीति (नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉरमिंग इंडिया) आयोग द्वारा चिह्नित 117 आकांक्षी जिलों में 'स्वजल' कार्यक्रम शुरू किया है। स्वजल की कल्पना एक सामुदायिक मांग आधारित, एकल ग्राम, विशेषकर सौर ऊर्जा द्वारा चालित नलजल आपूर्ति वाली स्कीम के रूप में की गई है। इसके वित्तपोषण को एनआरडीडब्ल्यूपी के "फ्लेक्सी फंड" के अंतर्गत रखा गया है जिसमें राज्य, केन्द्र तथा राज्य दोनों द्वारा जमा की गई कुल निधि का 5% उपयोग कर सकते हैं।